रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258654 CG-DL-E-14112024-258654

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946

No. 4543]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय

## (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4925(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एच एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होनाः** यह, इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

7357 GI/2024 (1)

# अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
एच एसिड	आईएस 8637: 2020	एच एसिड- विनिर्देश

टिप्पण: अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसचना की तारीख से लाग होगा।

[फा. सं. सी. II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals And Petrochemicals)

### **ORDER**

New Delhi, the 14th November, 2024

- **S.O. 4925(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:—
- 1. Short title, commencement.—(1) This Order may be called the H Acid (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to such goods or article meant for export.
- 3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **4. Certifying and enforcement authority.**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

### SCHEDULE

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
H Acid	IS 8637 : 2020	H Acid- Specification

**Note:** For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of the Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such notification.

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secv.

### आदेश

# नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4926(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम के एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होनाः** यह, इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

# अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
के एसिड	आईएस 11557: 1986	2- नेफ्थाइलेमाइन 3:6:8- ट्राइसल्फोनिक, तकनीकी के लिए विनिर्देश

टिप्पण: अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसचना की तारीख से लागु होगा।

[फा. सं. सी.II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

### **ORDER**

New Delhi, the 14th November, 2024

- **S.O. 4926(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:—
- 1. Short title, commencement.—(1) This Order may be called the K Acid (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to such goods or article meant for export.
- 3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.— Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

**4. Certifying and enforcement authority.**—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

#### **SCHEDULE**

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
K Acid	IS 11557: 1986	Specification for 2-Naphthylamine-3:6:8- Trisulphonic, technical

**Note:** For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of the Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such notification.

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

### आदेश

# नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4927(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात. यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है. निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल सल्फोन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त होगा।
- 2. **लागू होनाः** यह, इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- 3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसुची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

### अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
विनाइल सल्फोन	आईएस 18340: 2023	विनाइल सल्फोन-विनिर्देश

टिप्पण : अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. सी. II-18012/11/2024-रसा.II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

#### **ORDER**

New Delhi, the 14th November, 2024

- **S.O. 4927(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:—
- 1. Short title, commencement.—(1) This Order may be called the Vinyl Sulphone (Quality Control) Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to such goods or article meant for export.
- 3. Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.— Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Schedule and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **4.** Certifying and enforcement authority.— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

#### **SCHEDULE**

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Vinyl Sulphone	IS 18340 : 2023	Vinyl sulphone-Specification

**Note:** For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of the Indian Standards established and published by the Bureau from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such notification.

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.